संख्या: 1684/ 77-6-15-6(बजट)/ 14

प्रेषक,

कंचन वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी, 2016

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूंजी/ ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा संचालित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में रु. 1,02,10,00,000.00 (एक अरब दो करोड़ दस लाख मात्र) की बजट व्यवस्था है। इस धनराशि में से रु. 87,24,000.00 (रू0 सत्तासी लाख चौबीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।

2- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

3- यह धनराशि ऐसी पात्र नई इकाइयों, जिनके प्रत्यावेदन उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

4- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम पर होगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

7- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/ 2015/ बी-1-925/ दस-2015-231/ 2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8- उक्त धनराशि को आहरित करके उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

9- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक 6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2012-30-निवेश/ ऋण के नाम डाला जाएगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- यू.ओ.-बी-4-12/ दस-2016 में दिनांक 28-01-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

<u>संख्या: 1684(1)/ 77-6-15-6(बजट)/ 14 तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
3- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर को उनके पत्र संख्याः 637/ विनि/ वियोवि/ 2015-16 दिनांक 10-12-2015 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। (विशेष वाहक द्वारा)

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 4
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
7- नियोजन अनुभाग-1/ 4
8- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in